निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 621) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 अप्रील 2017

सं० 22/नि0सि0(वीर०)–07–07/15–587—श्री अशोक कुमार शर्मा, तत0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, राजावास, वीरपुर सम्प्रति सिंचाई अवर प्रमंडल, चम्पानगर (पूर्णियाँ) के अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, राजावास, वीरपुर के पदस्थापन काल के दौरान उनके विरूद्ध मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर द्वारा पत्रांक–3599, दिनांक 07.10.15 द्वारा निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया :–

(1) आप दिनांक 28.09.15 एवं 29.09.15 को राजावास में ही थे, लेकिन कार्यपालक अभियंता के स्थल पर पहुँचने पर आप स्थल पर नहीं थे। कार्यपालक अभियंता द्वारा मोबाईल से सूचना देने पर आप 20–25 मिनट के अंदर स्थल पर आए।

(2) आपके द्वारा कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया गया, जो अनुशासनहीनता का द्योतक है।

(3) आपके द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। कार्यहित में स्थल पर प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए स्थल से बाहर जाने को कहा जाना, उच्च पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, गंभीर अनुशासनहीनता एवं कार्य में व्यवधान पहुँचाने का स्पष्ट द्योतक है। यह संवेदनशील स्थल के प्रति आपकी असंवेदनशीलता एवं गैर जिम्मेदाराना रवैये का द्योतक है।

(4) आपके द्वारा आवेश में आकर गलत मंशा से कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर के उपर बेलचा उठाना/उठाने का प्रयास करना स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल है।

(5) आपके द्वारा पूर्व में भी दिनांक 12.9.15 को इसी तरह का व्यवहार किया गया, जो कार्यपालक अभियंता पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर के पत्रांक–1143, दिनांक 13.09.15 द्वारा प्रतिवेदित है।

उक्त की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–1656, दिनांक 03.08.16 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र–'क' संलग्न करते हुए श्री शर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

श्री शर्मा द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब उपलब्ध कराया गया जिनमें मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया –

हम दिनांक 28.09.15 एवं 29.9.15 को कर्त्तव्य स्थल पर ही उपस्थित थे तथा कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। श्री शर्मा ने कार्यपलाक अभियंता के विरूद्ध पैसा लेकर कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति करने एवं उनसे मनमाने ढ़ग से गलत कार्य कराने का आरोप लगाया गया है। श्री शर्मा द्वारा स्पष्टीकरण में यह भी अंकित किया गया है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा श्री पंडित एवं श्री महतो, कनीय अभियंता से कार्य प्रतिवेदन तैयार कराया जाता था तथा उस पर उनसे हस्ताक्षर करने का अनावश्यक दबाव बनाया जाता था। हस्ताक्षर नहीं करने के कारण इनके विरूद्ध कार्यपालक अभियंता द्वारा अनावश्यक आरोप लगाया गया है।

श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के विरूद्ध गलत तरीके से कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति का आरोप लगाते हुए उनसे गलत काम कराने का उल्लेख किया गया है, किंतु कौन सा गलत कार्य कराया गया इसका उल्लेख इनके स्पष्टीकरण में नहीं है। यदि इन्हें गलत कार्य कराये जाने की जानकारी थी तो उसे अभियंता प्रमुख को अवगत कराना चाहिए था जो इनके द्वारा नहीं कराया गया।

उक्त वर्णित स्थिति में श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया :–

(क) आरोप वर्ष 2015–16 के लिए निंदन।

(ख) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतः श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड दिया जाता है :–

(क) आरोप वर्ष 2015–16 के लिए निंदन।

(ख) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त आदेश श्री शर्मा को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)621-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in